न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 27 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

तोलीराम पिता मोती जी सुथार (मृतक) के बजाय :–

1. कैलाशचन्द पिता स्वर्गीय तोलीराम जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा, ग्राम पंचायत अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मदन सुथार पिता स्वर्गीय तोलीराम जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा (कानोड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. लीला पुत्री स्वर्गीय तोलीराम जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा (कानोड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. कंचन पुत्री स्वर्गीय तोलीराम जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा (कानोड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. लक्ष्मीबाई पत्नी स्वर्गीय तोलीराम जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा (कानोड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता स्वर्गीय बालू जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा (कानोड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुखलाल पिता स्वर्गीय बालू जी सुथार, निवासी संग्रामपुरा (कानोड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय

उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0

15.06.2016 प्रकरण संख्या 29/2015

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री ओमप्रकाश बारबर अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री सत्यप्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 9

---::---

निर्णय **दिनांक 27–07–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक [illegible]त्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम संग्रामपुरा में परिशिष्ठ ''क'' की आराजी नंबर 495, 500, 501 किता 3 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण के पिता के नाम अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ख'' की आराजी नंबर 395/2, 494, 497, 498 किता 4 रकबा 6 बीघा भूमि मोहनलाल, बद्रीलाल पिता दोला सुथार के नाम अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ग'' की आराजी नंबर 494, 499, 756, 788/1, 788/3 किता 5 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा मोहनलाल, बद्रीलाल पिता दोला एवं 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता के नाम अंकित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार नहीं है, फिर भी वह प्रार्थीगण के हक, अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की नियत से राजस्व अभिलेख में अंकित अवैध व शून्य प्रभावी अंकन के आधार पर भूमि को हस्तान्तरित करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षी संख्या 1 ने आप न्यायालय में वाद संख्या 401/2013 प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। अतः ताफैसला काउण्टर क्लेम विपक्षीगण को इस आयश की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या ''क'' एवं ''ग'' में अंकित आराजियात को किसी को हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व प्रार्थीगण को जबरन भूमि से बेदखल नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 15–06–2016 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23–04–2018 को पटवारी हल्का से हुई। देरी का पर्याप्त कारण है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अपीलान्ट ने देरी का कोई यथोचित कारण नहीं बताया है। हर व्यक्ति को अपने प्रकरण के लिए मुस्तैद रहना चाहिए। अपीलान्ट अपनी गलती दूसरों पर नहीं डाल सकता। अतः अपील समयावधि से बाधित होने से इस स्टेज पर निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 व आर. आर.टी. 2018 (1) पेज 188 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि आदेशिका दिनांक 10–05–2016 पर स्वयं अपीलान्ट तोलीराम की अंगूठा निशानी है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्रकरण राजस्व कैम्प में रखने की जानकारी नहीं हो या उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया हो। अपील देरी से प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने के जो कारण बताया हैं वह उचित नहीं होने से प्रथम दृष्टया अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को बिना देखे तथा अपीलान्ट का जवाब लिये बिना निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट के कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपीलान्ट की जायदाद हड़पने की नियत से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने बिना अधिकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जबकि उनके पक्ष में किसी प्रकार का प्राईमाफेसी केस नहीं है, न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने गोद को आधार बनाया है, जिस संबंध में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

दिया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम संशोधित टाईटल पर अपनी आपत्ति करते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, न ही अपील मीमों में उन्हें रेस्पोन्डेन्ट के रूप में अंकित किया गया है, फिर भी अपीलान्ट द्वारा संशोधित अपील शीर्षक में बिना किसी आधार के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 को संशोधित अपील शीर्षक में जोड़ दिया गया है जो उचित नहीं है, क्योंकि इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, न ही न्यायालय की स्वीकृति ली गयी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 को संशोधित अपील शीर्षक में संस्थित नहीं किया जा सकता।

प्रकरण के गुणावगुण पर अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता को राजस्व कैम्प की सूचना देकर एवं उनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने धारा 53 के तहत दावा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट का धारा 88 का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षकारान को इस कृषि भमि से संबंधित राहत व अनुतोष प्राप्त करने हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 692 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का अवलोकन किया। जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक की संशोधित टाईटल पर आपत्ति का प्रश्न है, चूंकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में बिना किसी आवेदन अथवा बिना न्यायालय की स्वीकृति के अपीलान्ट द्वारा संशोधित अपील शीर्षक में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 का नाम जो जोड़ा गया है, वह विधिक रूप से जोड़ा जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में संशोधित अपील शीर्षक से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 का नाम हटाया जाता है तथा शेष संशोधित अपील शीर्षक ही रेकार्ड पर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सजरा एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के वादग्रस्त आराजियात में हक व अधिकार निहित होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात बाबत् मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश पारित किया हैं वह विधि सम्मत हैं। विवादित आराजियात बाबत् अपीलान्ट का दावा व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। किस पक्षकार का विवादित आराजियात में कितना हक व अधिकार बनता है इसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य आने की बाद ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–06–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested